(भारत के राजपत्र के भाग । खंड 2 में प्रकाशनार्थ)

सं. 14015/32/2008-अ.भा.से.(I)-ख

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

नई दिल्ली, 25 मार्च, 2009

अधिसूचना

भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति किए जाने के क्रम में वर्ष 1999, 2000 और 2001 की प्रवर सूचियों में शामिल किए जाने हेतु श्री रिसाल सिंह खारा के नाम पर विचार किए जाने के लिए ओ.ए.सं.1883/2008 में माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, प्रधान खण्ड पीठ के दिनांक 17.9.2008 के निदेशों के अनुपालन में, समीक्षा चयन समिति की दिनांक 11 दिसंबर, 2008 को आयोजित बैठक में की गई सिफारिशों और संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 23 मार्च, 2009 के पत्र में इस संबंध में किए गए अनुमोदन के अनुक्रम में राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 9(I) और भारतीय प्रशासनिक सेवा (परीवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3 के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8(I) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा राज्य सिविल सेवा के सदस्य श्री रिसाल सिंह खारा को, उनके नाम को प्रवर सूची, 1999 में शामिल किए जाने के आधार पर अगले आदेशों तक परीवीक्षा आधार पर भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त करते हैं और उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा(संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5(I) के अंतर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा के हरियाणा संवर्ग में आवंटित करते हैं ।

(एस.एस.शुक्ला)
भारत सरकार के अवर सचिव

सेवा में

प्रबंधक
भारत सरकार मुद्रणालय
फरीदाबाद (हरियाणा)